'प्लानिंग से करें कार्य, एसआईआर प्रक्रिया समय पर पूर्ण हो सके'

कोटपूतली। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत बीएलओ का सम्मान समारोह कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट में बुधवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका गोस्वामी और उप-जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण एवं निर्वाचन शाखा के कार्मिक उपस्थित रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की दिनांक 26 नवंबर को सांय 4 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 83.96 ईएफ डिजिटाईजेशन पूर्ण

■ **उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर बीएलओ को किया सम्मानित**

हो चुका है। जिले में 30 बीएलओ ने शत प्रतिशत डीजीटाईजेशन किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका गोस्वामी ने अधिकारियों की बैठक लेकर एसआईआर कार्य में नियोजित सभी कार्मिकों की सराहना करते हुए कहा की विभिन्न चुनौतियों के बावजूद सभी ने सराहनीय कार्य किया है।

विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली के भाग संख्या 121 के बीएलओ सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि विशेष गहन संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उन्होंने शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, डीएलएड प्रशिक्षुओं तथा ग्रामवासियों ने समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराकर कार्य को आसान बनाया। टीमवर्क के कारण कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा हुआ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ से अपील की कि उचित प्लानिंग से कार्य करें, ताकि एसआईआर प्रक्रिया समय पर पूर्ण हो सके। विधानसभा क्षेत्र बानसूर के भाग संख्या 84 के बीएलओ सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि गणना पत्र वितरण के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार गठित टीम ने उन्हें पूरा सहयोग प्रदान किया। उन्होंने विशेष ध्यान रखा कि गांव के मौजीज नागरिकों से निरंतर संपर्क में रहें और जिन मतदाताओं के मोबाइल नहीं मिल रहे थे, उनसे रात में मिलकर जानकारी हासिल की। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया।विधानसभा विराटनगर भाग संख्या 23 के बीएलओ जितेंद्र दीक्षित ने बताया कि वर्तमान में चल रहे एसआईआर कार्य को उन्होंने पूरी निष्ठा से 100 पूर्ण कर लिया है। उन्हें अपने सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पूर्व बीएलओ का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने सुबह जल्दी ग्रामीणों से संपर्क कर कार्य को आगे बढ़ाया। जितेंद्र दीक्षित ने अपने अन्य बीएलओ साथियों की भी सहायता कर रहे हैं, जिनका कार्य भी लगभग पूर्णता की ओर है।

कोटपूतली में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत बीएलओ का सम्मान समारोह कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित हुआ।

प्रेमी युगल को आजीवन कारावास

अलवर। किसी ने सच ही कहा है कि अगर किसी से सच्चाई उगलवानी है तो उसे दारू के दो पेक पिला दो और फिर जिस बात को पूछना चाहते हो उसे सिर्फ शराबी के सामने बोल दो वो सारी सच्चाई तोते की तरह खुद ही खोल देगा ऐसा ही वाक्या मालाखेडा के एक गांव में घटित हुआ जब परिवार वालों को अपने बेटे की मोत संदिग्ध लगी और उन्होंने परिवार के ही एक व्यक्ति को शराब पिला कर पूछा तो उसने सारा घटनाक्रम उनके सामने खोल दिया जिस पर आज उसे और उसकी प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा मिल गई।

अलवर के डीजे कोर्ट नंबर-3 ने एक महिला और उसके पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जब परिवार शादी में गया हुआ था, तब महिला ने अपने प्रेमी को घर बुला लिया। जब महिला का पति घर आया, तो दोनों ने मिलकर तकिए से दबाकर उसकी हत्या कर दी। दोनों ने यह वारदात शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति और अवैध संबंधों को आगे बढ़ाने की चाहत में की थी।मर्डर का खुलासा तब हुआ, जब परिवार ने महिला के प्रेमी को शराब पिलाई, तो आरोपी ने सारा सच उगल दिया।

सभी के सहयोग से मजूबत होगा संगठन : इंद्राज गुर्जर

पावटा। जिला कोटपुतली बहरोड कांठोस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर का कांठोस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उत्साह देखने को मिला। भाबरु स्थित मिलन होटल पर बुधवार को नवनियुक्त जिलाध्यक्ष इंद्राज गुर्जर का कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण का स्वागत किया। इस दौरान संगठन मजबूत करने और जन समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने का कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया।

इस दौरान जिलाध्यक्ष इंद्राज गुर्जर ने कहा कि संगठन को सशक्त बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को कार्यकर्ता मजबूत करें, ताकि कांठोस मजबूत हो सके। जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसका निर्माण पूरी निष्ठा के साथ करूंगा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह पार्टी नेतृत्व के विश्वास को कायम रखते हुए पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। सभी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का अवसर दिया जाएगा। कांठोस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओ का मानना है कि इंद्राज गुर्जर की नियुक्ति से जिले में कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। उनका कहना है कि आगामी चुनावों में पार्टी मजबूती से मैदान में उतरेगी। वही पूर्व विधायक इन्द्राज गुर्जर ने मान सम्मान देने वाले सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और क्षेत्रवासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा कि आप सभी का स्नेह और विश्वास ही हमारे संगठन की वास्तविक शक्ति है। जिले के विकास और संगठन की मजबूती के लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। वही फुलचन्द सैनी, विक्रम शर्मा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। जिनको दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया।

नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज गुर्जर का स्वागत किया।

एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक

अलवर। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आज कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट के तहत विभिन्न क्षेत्रों में हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा कर एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिये।

जिला कलक्टर ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जिले से संबंधित एमओयू की विभागवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि एमओयू से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर निर्धारित टाइमलाइन में उनकी ग्राउण्ड ब्रेकिंग करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि अलवर जिले में विकास की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एमओयू के लिए निवेशकों के साथ फॉलोअप एवं विभागीय समन्वय स्थापित कर उन्हें मूर्तरूप देवे। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को एमओयू से आवेदनों की समीक्षा कर निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देशित किया।

कार्यशाला आज

दूदू। पंचायत समिति सभागार में 27 नवंबर को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना विषय पर राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा कृषि मंडी सचिव अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यशाला के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया जाकर उनका चयन किया जाएगा।

शांतिनाथ भगवान का किया पंचामृत अभिषेक व शान्तिधारा

निवाई। सकल दिगम्बर जैन समाज के तत्वावधान में सन्त निवास नसियां जैन मंदिर में प्रात:काल शांतिनाथ भगवान का पंचामृत अभिषेक एवं वृहद् शान्तिधारा की गई। इसके पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा आचार्य शांति सागर महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित किया गया। मंगलाचरण जिनश्रुत बाल पाठशाला के

■ **जीवन में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है : प्रभव सागर**

बच्चों द्वारा किया गया।

जैन समाज के प्रवक्ता सुनील भाणजा एवं हितेश छाबड़ा ने बताया कि आचार्य वर्धमान सागर महाराज ससंघ के मुनि प्रभव सागर महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन की आधारशिला संयम है।

भगवान शांतिनाथ का अभिषेक एवं शान्तिधारा करते हुए श्रद्धालु।

संयम भारतीय संस्कृति का प्राण है, संयम वह मशाल है, जो जीवन के कोने-कोने को चमका देता है। संयम वह पतवार है, जो जीवन की नाव को भव पार लगा देता है, संयम व अमोघ अस्त्र है, जो कर्म के पर्वत को भेद देता है। संयम वह पारस पत्थर है जो कांच को कंचन बना देता है, संयम का अर्थ है स्वयं के लिए जीना, स्वयं में जीना। उन्होंने बताया कि फूल आते हैं और चले जाते हैं, सुख आते हैं और चले जाते हैं, दुख आते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, चले जाने के इस शाश्वत नियम को जान लेना। यहां आना जाना होता है, दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन, जब रात्रि नहीं टिकती तो दिन कैसे टिकेगा। जब सुख नहीं टिकता तो दुख कैसे टिकेगा, टिकना तो मोक्ष में ही संभव है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर कभी तुम पर दुख और संकट आ जाए, अचानक दुख के बादल छा जाए तो चिंतन करना कि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। दुख सर्वथा बुरा नहीं है, वह आदमी को सजक रखता है। सुख में तो आदमी गफलत में आ जाता है। सुख की जिंदगी फिसलन भरी होती है। जीवन में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है। वह कोई नहीं सिखाता। अपने मुख से किसी भी जीव की निंदा नहीं करें, क्योंकि निंदक की भी निंदा करने से आपकी ही निंदा होती है। इसलिए निंदा की जगह प्रशंसा को अपने जीवन का अंग बनाएं। ध्यान रखें बुराइयां छोटे लोगों को ही दिखती है, अच्छे लोगों को तो अच्छाई दिखती है। उन्होंने बताया कि दोपहर में संघ द्वारा सामायिक एवं स्वाध्याय किया गया। सांयकाल में आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर नेमिचंद गंगवाल, सुकुमाल चंवरिया, कमल पहाडी, नीरज माधोराजपुरा, विमल गिंदोडी, अखिल कटारिया, अशोक बोहरा, राजेश सांवलिया, राजेंद्र सेदारिया, गिर्राज चंवरिया, महेश गिंदोडी, बंटी झांझरी, दिलीप भाणजा, सुनिल भाणजा, हितेश छाबड़ा, लालचंद कठमाणा व दिनेश संघी सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

बाइक रैली का आयोजन

चाकसू। दी ग्रेट बाबा साहेब डॉ अंबेडकर मूलनिवासी वेलफेयर संघ चाकसू के द्वारा संविधान दिवस पर बाइक रैली का आयोजन संघ के अध्यक्ष कमलेश बैरवा मोहम्मदपुरा के नेतृत्व में किया गया संघ के प्रवक्ता धर्मेन्द्र तामडिया ने बताया कि बाइक रैली को बैरवा छात्रावास से भरत लाल मीणा अध्यक्ष ब्लॉक कांठोस कमेटी चाकसू और सीताराम मंडावरिया पार्षद प्रतिनिधि ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया सैकडो की संख्या में बाइक रैली में शामिल लोग संविधान दिवस चिरायु हो बाबासाहेब अमर रहे महात्मा फुले अमर रहे के नारे बोलते हुए चल रहे थे रैली अंबेडकर सर्किल पहुंची वहां बाबा साहेब को पुष्पअर्पित कर मुख्य बाजार होती हुई महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पहुंची।

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 86/2025
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री सुश्री रचना भार्गव प्रन्यासी ने पंजीकृत प्रन्यास आईआईएस (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) ट्रस्ट गुरूकुल मार्ग एस.फ.एस मानसरोवर जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक13 जयपुर 2008 है के सम्बन्ध मे राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास के अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता का स्वग्रवास हो जाने के कारण तथा श्री आलोक अग्रवाल द्वारा प्रन्यासी पद से त्याग पत्र देने के कारण उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा उनके स्थान पर श्रीमती विजया गुप्ता को प्रन्यासी, श्री सुमीत गुप्ता को नवीन प्रन्यासी/सचिव, स्वयं का नाम बतौर संयुक्त सचिव तथा श्री अमित गुप्ता को प्रथम प्रन्यासी/अध्यक्ष मनोनीत कर उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास मे हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियो के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 20.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 24.12.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 540/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री कृष्णा विक्रम रस्तोगी पुत्र श्री डी. पी. रस्तोगी निवासी बी-9 विवेकानन्द मार्ग, सी-स्कीम जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत स्टोर टेक्नोलॉजी फाउण्डेशन कार्यालय पता-बी-9 विवेकानन्द मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 20.01.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/885
चूंकि प्रार्थी श्री DEEPAK JALAN 82 HARI MARG CIVIL LINES JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास निफा फॉउंडेशन C 57 LALKOTHI JANPATH JAIPUR, RAJ. के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 21/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 30/01/2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/889
चूंकि प्रार्थी श्री SATYANARAYAN GAUTAM, WARD NO. 24, VILLAGE SHEEL KI DUNGRI CHAKSU JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास स्व-सहयोगी संस्था VILLAGE MANPUR DUNGRI POST SHEEL KI DUNGRI CHAKSU JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 25.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29.01.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, सीकर
क्रमांक-LU2012/SWM/2025-26/100260 **लोक सूचना** दिनांक-26.11.2025
श्री RAM SINGH MEENA पुत्र श्री JANSIRAM MEENA जाति MEENA निवासी 9, DAUSA ROAD JAWAHAR NAGAR COLONY SAWAI MADHOPUR ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	शुद्रासी सवाईमाधोपुर (सवाई माधोपुर)	RAM SINGH MEENA	1852/1850	2325	0.2325
				कुल	0.2325

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारी के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज़ को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26.11.2025 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर

कार्यालय प्रधानाचार्य-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
गंगवाला, तह.बौंली जिला-सवाई माधोपुर (राज.)
क्रमांक-रा.उ.मा./गंगवाडा/191
दिनांक-26/11/25
निलामी सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि स्थानीय विद्यालय में अनुपयोगी सामान को निलाम किया जावेगा। इच्छुक निलामी लगाने वाले दिनांक 08/12/2025 को निर्धारित अग्रिम राशि जमा कराकर 12.00 बजे उपस्थित हो।
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगवाडा, सवाई माधोपुर (राज.)

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सिविल न्यायाधीश, गंगापुर सिटी
अशोक कुमार बनाम फकीर चन्द बगैहरा
मुकदमा नं.:70/25
दावा
वाद-पत्र पंजीकृत विक्रय-पत्र के संदर्भ में घोषणा व निरस्तीकरण व शाश्वत व्यादेश बावत्
बनाम : अमजद पुत्र निसार निशार मुसलमान निवासी छोटी मस्जिद के पास, वजीरपुर, तहसील वजीरपुर, जिला स0मा0 (राज0)
वादीगण ने आपके विरूद्ध पंजीकृत विक्रय-पत्रों के संबंध में घोषणा निरस्तीकरण व शाश्वत व्यादेश के लिये वाद-पत्र पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 03 माह 12 सन् 2025 को दिन 10 ए.एम. में वज़े दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये बचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तोवज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
वह वाद ता. 19 माह 11 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
आज्ञा से-सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) गंगापुर सिटी (स.मा.)

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय सिविल न्यायाधीश, गंगापुर सिटी
अशोक कुमार बनाम अमजद बगैहरा
मुकदमा नं0 : 50/25
प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
बनाम : अमजद पुत्र निसार निशार मुसलमान निवासी छोटी मस्जिद के पास, वजीरपुर, तहसील वजीरपुर, जिला स0मा0 (राज0)
प्रार्थीगण ने आपके विरूद्ध प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी इस न्यायालय में आवेदन किया है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उसे आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिये दिनांक 3 माह 12 सन् 2025 को... पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जायेगा।
यह आज ता. 10 माह 11 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गई है।
आज्ञा से-रीडर
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) गंगापुर सिटी (स.मा.)
मोहर अदालत

खोया पाया
मेरे, बनवारीलाल शर्मा पुत्र सोनी लाल शर्मा निवासी प्लॉट सं. 02, शिव विहार कॉलोनी, रोड नंबर 5 के सामने, वी.के.आई.ए, जयपुर दिनांक 01.10.2025 को ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के दो प्लॉट संख्या 30 ए, कृष्णा कुंज थर्ड व 02, कृष्णा कुंज द्वितीय, बढारणा जयपुर के असल कागजात निवास स्थान से मुरलीपुरा सब्जी मंडी के बीच में कही गिर गए मिलने पर सूचित करे सम्पर्क 9929509473

मेरे भूखण्ड संख्या-A-610 रोहिणी नगर-II, योजना का मूल जेडीए का क़ब्ज़ा पत्र कही गुम हो गए है मिलने पर सम्पर्क करें। हर्ष गोयल-फोन नंबर -7296878085

MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR
(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Lalkothi Tonk Jaipur 302015)
No. F-6(DCR-FIRST (J.S)RO.LIC\N.N.J/2025/711 Date : 26-11-2025
PUBLIC NOTICE
The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/ installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3337413	On Row Outside of Shamshan Bhumi, Suriya Nagar Budhsinghpura Prabh Dayal Marg Ward No.101, Sanganer, Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.
In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.
Deputy Commissioner (Revenue-I) Municipal Corporation, Jaipur

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल कमलेश कुमार ब्राहमभट्ट पुत्र श्री जगदीश प्रसाद आयु 45 वर्ष निवासी सुल्तानिया पचाल, जयपुर का पुत्र कुशाल ब्राहमभट्ट व पुत्रवधु मुस्कान उनके कहे मे नही है और वह पिछले कुछ समय से अपनी मर्जी मुताबिक जिन्दगी जी रहे है, उक्त पुत्र आए दिन मेरे मुवक्किल व परिवार के अन्य सदस्यो के साथ बदसलूकी व झगड़ा करते है जिस कारण मेरे मुवक्किल ने अपने उक्त पुत्र कुशाल ब्राहमभट्ट व पुत्रवधु मुस्कान को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से एवं अपने परिवार से बेदखल कर दिया है जो कोई व्यक्ति कुशाल ब्रहामभट्ट व मुस्कान से किसी भी तरह का संव्यवहार व लेन-देन करेगा उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा कृपया सूचित रहे।
(गणेश सूसर) एडवोकेट मो.नं. 9782928868

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम विपुल बडजात्या से बदलकर विपुल जैन पुत्र तारा चन्द जैन रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी 1/433 विद्याधर नगर जयपुर

मैंने अपना नाम संजय रोहरा से बदलकर संजय कुमार रोहरा कर लिया है। संजय कुमार रोहरा पुत्र मोहन लाल रोहरा निवासी ई-63, बालाजी विहार, एन झोटवाड़ा, राजस्थान-302012, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

मैंने मेरा नाम लक्ष्मण कुम्हार (LAXMAN KUMHAR) से बदलकर लक्ष्मण प्रजापत (LAXMAN PRAJAPAT) रख लिया है जो सही है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावें। लक्ष्मण कुम्हार पुत्र लीलूराम कुम्हार ग्राम वार्ड 11, बांय,तह. तारानगर (चूरू) राज.

मैंने मेरा नाम संजय कुमार नील (Sanjay Kumar Nill) बदलकर संजय कुमार (Sanjay Kumar) रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे। संजय कुमार पुत्र सुगन सिंह चौहान (Sanjay Kumar S/o Sugan Singh Chauhan), निवासी वार्ड नंबर- 6, रतननगर (चूरू) राजस्थान

कार्यालय नगर निगम जयपुर
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2025/311 दिनांक: 26.11.2025
ई-निविदा सूचना क्रमांक :- 31/2025-26